# PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

**UNIT-2** **PAPER NAME – BANKRUPTCY LAW**

## Q1. शासकीय रिसीवर कोन होता है ? वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है ? उसकी शक्ति तथा कर्मो की विवेचना कीजिये।

**उत्तर**- आदाता वह व्यक्ति होता है जिसे न्यायालय दिवालिया की सम्पत्ति के लिए न्यायनिर्णयन के आदेश के समय या बाद में किसी भी समय पर नियुक्त करती है। यह व्यक्ति दिवालिया की सम्पत्ति को वसूल करता है तथा उसकी आय को ऋणदाताओं में वितरित करता है। आत दिवालिया की सम्पत्ति का स्वामी नहीं होता है।

**शासकीय आदाता की नियुक्ति की शक्ति** (Power to appoint official recei ver) — शासकीय आदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 57 निम्नलिखित उपबन्ध किए गये हैं

(1) राज्य सरकार ऐसी स्थानीय सीमाओं के अन्दर, जैसा वह निर्धारित करे, इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को, जैसा वह उचित समझे, आदाता (जो शासकीय आदात कहलायेंगे) नियुक्त कर सकती है।

(2) जहाँ इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाली किसी न्यायालय की अधि कारिता की सीमाओं के लिए कोई शासकीय आदाता इस प्रकार नियक्त किय। गया है, तो वह किसी ऐसे न्यायालय द्वारा जारी किये गये किसी आदाता या अन्तरिम आदाता को नियुक्त करते हुए प्रत्येक आदेश के प्रयोजन हेतु आदाता होगा जब तक कि न्यायालय विशेष कारणों से अन्यथा निर्देश नहीं करता है।

(3) शासकीय आदाता की सेवाओं के सम्बन्ध में धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अध्यधीन भुगतान योग्य कोई रकम ऐसी निधि में, जैसा राज्य सरकार निर्देश दे, जमा की जायेगी।

(4) ऐसी निधि या अन्यथा में से प्रत्येक शासकीय आदाता ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जैसा भी राज्य सरकार इस विषय में निश्चित करे तथा इस प्रकार नियत किए गये से कुछ भी ऊपर कोई पारिश्रमिक शासकीय आदाता द्वारा इस रूप में प्राप्त नहीं किया जायेगा।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गये शासकीय आदाता के वही कर्तव्य एवं शक्तियाँ होंगी जो आदाता के होते हैं। धारा 58 के अधीन यह भी उपबन्ध किया गया है कि यदि किसी शासकीय आदाता की नियुक्ति नहीं की जाती है तो न्यायालय को वे सभी अधिकार होंगे तथा वह उसे सौंपी गयी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जोकि, इस अधिनियम के अधीन एक आदाता की होती है।)

**आदाता के कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ** (Duties and powers of receiver)- प्रान्तीय उत्तर दिवाला अधिनियम की धारा 59 में आदाता के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। घारा 59 यह उपबन्धित करती है कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीनस्थ रहते हुए आदाता अत्यन्त सुविधापूर्ण गति के साथ ऋणी की सम्पत्ति को वसूल करेगा और लाभांशों को उसके अधिकृत ऋणदाताओं के मध्य वितरित करेगा और इस प्रयोजन हेतु वह

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(1) दिवालिया की सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को बेच सकता है।

(2) अपने द्वारा प्राप्त किसी धन के लिए रसीद दे सकता है तथा न्यायालय की अनुमति से निम्नलिखित बातों में से सभी या किसी बात को कर सकता है, अर्थात्

(i) दिवालिये के व्यापार को चला सकता है जहाँ तक कि वह उसके लाभप्रद परिसमापन के लिए आवश्यक हो;

(ii) दिवालिये की सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही संस्थित कर सकता है, उसका प्रतिवाद कर सकता है या उसे जारी रख सकता है;

(iii) न्यायालय के द्वारा अनुज्ञप्त किए गये किसी व्यापार या किसी कार्यवाही को चलाने के लिए किसी वकील या अन्य अभिकर्ता को नियुक्त कर सकता है;

(iv) प्रतिभूति या अन्यथा के विषय में, जैसा न्यायालय उचित समझे, ऐसे बन्धक के अधीन दिवालिया की किसी सम्पत्ति के विक्रय के लिए किसी भावी समय पर भुगतान योग्य धन की राशि को प्रतिफल के रूप में स्वीकार कर सकता है;

(v) दिवालिया के ऋणों के भुगतान के लिए धन को एकत्रित करने के प्रयोजन हेतु दिवालिया की सम्पत्ति के किसी भाग को बन्धक कर या गिरवीं रख सकता है;

(vi) किसी विवाद को विवाचन को सौंप तथा ऐसी शर्तों पर, जैसी भी तय हों, सम्पूर्ण ऋणों, माँगों तथा दायित्वों में समझौता कर सकता है; और

(vii) ऋणदाताओं के मध्य किसी ऐसी सम्पत्ति को जोकि अपने विचित्र स्वरूप के कारण या किन्हीं अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण, तत्काल या लाभप्रद रूप में बेची न जा सकती हो, उसके वर्तमान स्वरूप में उसके अनुमानित मूल्य के अनुसार विभाजित कर सकता है।

इस प्रकार धारा 59 आदाता के दो मुख्य कर्त्तव्यों एवं शक्तियों का निरूपण करती है

(1) ऋणी की आस्तियों को वसूल करना; तथा

(2) उन्हें वितरित करना ।

धारा 59 में वर्णित खण्डों में से 1 और 2 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग आदाता द्वारा न्यायालय की अनुमति के बिना ही किया जा सकता है, किन्तु (i) से (vii) तक में वर्णित शक्तियों का प्रयोग सिर्फ न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके ही किया जा सकता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

# PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

**UNIT-2** **PAPER NAME – BANKRUPTCY LAW**

**Q2. प्रबंध योजना तथा समझौता से आप क्या समझते है ? प्रबंध योजना तथा समझौता सम्बन्धी विधिक प्रावधान तथा प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिये।**

**उत्तर**- समझौता और संव्यवस्था की योजनाएँ (Composition and schemes of ( arrangement)-समझौता उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा कोई न्यायनिर्णीत दिवालिया अपने ऋणदाताओं के साथ यह व्यवस्था करता है कि वह उन्हें उस रकम से, जोकि वास्तव में देय है, कुछ कम अदा करके छुटकारा पा जाय। प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 38 में समझौता एवं संव्यवस्था की योजना के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध किए गये हैं

(1) जहाँ ऋणी न्यायनिर्णयन के आदेश के किये जाने के पश्चात् अपने ऋणों की सन्तुष्टि में समझौते के लिए प्रस्ताव या अपने मामलों की संव्यवस्था की संयोजना के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो न्यायालय प्रस्ताव के विचारार्थ तारीख नियत करेगा तथा सभी ऋणदाताओं को ऐसी रीति में, जैसा निर्धारित किया जाय, सूचना भेजेगा।

(2) यदि प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् सभी ऋणदाताओं की जिनके ऋण सिद्ध हो जाते हैं तथा जो स्वयं या वकील के द्वारा उपस्थित हैं संख्या में बहुमत तथा मूल्य में तीन चौथाई प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुमोदन कर देते हैं, तो सभी ऋणदाताओं द्वारा वही सम्यक् रूप से स्वीकार किया गया समझा जायेगा।

(3) मीटिंग में ऋणी अपने प्रस्ताव की शर्तों में संशोधन कर सकता है, यदि न्यायालय की राय में संशोधन ऋणदाताओं के सामान्य वर्ग को लाभ पहुँचाने के लिए अनुमानित हैं।

प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 39 प्रावधान करती है कि यदि न्यायालय प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो उसकी शर्तें न्यायालय के आदेश में निरूपित की जायेंगी तथा न्यायनिर्णय का आदेश अभिशून्य कर दिया जायेगा तथा धारा 37 के उपबन्ध लागू होंगे तथा समझौता संयोजना सभी ऋणदाताओं पर जहाँ तक ऋणी से उनको देय और इस अधिनियम के अधीन सि करने योग्य ऋण से सम्बन्धित हैं, आबद्धकारी होंगे।

प्रान्तीय दिवाला अधिनियम न्यायनिर्णयन के आदेश के पूर्व ऋणदाताओं के साथ किये जाने वाले समझौते के लिए कोई उपबन्ध नहीं करता है। न्यायनिर्णयन के आदेश के पूर्ण किए ग समझौते संविदा की साधारण विधि द्वारा विनियमित होते हैं। अतः यदि कोई ऋणदाता न्याय निर्णयन के आदेश के पूर्व इस बात का करार करता है कि वह देय रकम से कम रकम के भुगतान को अपने दावे के पूरे भुगतान के रूप में स्वीकार करेगा तो वह ऋण पूरी तरह समाप्त होने जाता है। इस तरह समझौता करने वाला कोई ऋणदाता यह नहीं कह सकता है कि वह दिवाला का कार्य था।

**समझौता तथा प्रबन्ध संयोजना को मंजूर करने से इन्कार** (Refusal to composition and scheme of arrangement)- प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 38 के अनुसार, निम्न लिखित दशाओं में न्यायालय समझौता तथा प्रबन्ध संयोजना को मंजूर करने से इन्कार कर देगी

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(1) जहाँ न्यायालय, आदाता की रिपोर्ट को सुनने के पश्चात् (यदि आदाता नियुक्त किया गया हो) और ऐसी किसी आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् जो किसी ऋणदाता द्वारा या उसकी ओर से उठाई गई हो, यह राय कायम करती है कि प्रस्ताव की श युक्तियुक्त नहीं हैं या ऋणदाताओं के सामान्य वर्ग को लाभ पहुँचाने वाली नहीं हैं, वहाँ न्यायालय उस प्रस्ताव को मंजूर करने से इन्कार कर देगा। [धारा 38(4)

(2) यदि कोई इस प्रकार के तथ्य सिद्ध हो जाते हैं जिनके सिद्ध हो जाने पर न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है ऋणी के उन्मोचन से इन्कार कर दे या उसे निलम्बित कर दे या उनके लिये शर्तें लगा दे तो न्यायालय उस प्रस्ताव को मंजूर करने से इन्कार कर देगा, जब तक कि उसमें ऐसी व्यवस्था न हो कि ऋणी की सम्पदा के विरुद्ध सिद्ध करने योग्य सभी सुरक्षित ऋणों पर कम-से-कम रुपये में छः आने के भुगतान हेतु युक्तियुक्त प्रतिभूति की व्यवस्था न हो।

(3) इस प्रकार का कोई समझौता या संयोजना न्यायालय द्वारा मंजूर नहीं किया जायेगा जिसमें कि अन्य ऋणों की अपेक्षा प्राथमिकता देते हुए, उन ऋणों के भुगतान के लिए व्यवस्था न हो, जिनके विषय में यह निर्देश दिया जाय कि वे दिवालिये की सम्पत्ति के वितरण में अदा किये जायेंगे।

## Q3. विभिन्न प्रकार की विमुक्ति तथा उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए।

**उत्तर—उन्मोचन** (Discharge) – प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 41 उन्मोचन का वर्णन करती है। धारा 41 के अनुसार, ऋणी न्यायनिर्णयन के आदेश के पश्चात् किसी भी समय उन्मोचन के आदेश के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है और न्यायालय द्वारा उल्लिखित अवधि के अन्दर देगा और न्यायालय ऐसे आवेदन की सुनवाई के लिये और यदि उस पर कोई आपत्ति की जाती है, तो उन आपत्तियों की सुनवाई के लिये दिन निश्चित करेगी जिसकी सूचना ऐसी रीति से जैसी निर्धारित की जाय, दी जायेगी। न्यायालय, ऋणदाता की आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् और, जहाँ कोई आदाता नियुक्त किया गया हो, वहाँ आदाता की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्

(i) उन्मोचन का पूर्ण आदेश मंजूर कर सकेगा या उसे देने से इन्कार कर सकेगा;

(ii) उस आदेश के प्रवर्तन को किसी उल्लिखित समय के लिए निलम्बित कर सकेगा;

(iii) दिवालिये की भविष्य में होने वाली किसी आमदनी या कमाई के सम्बन्ध में या उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में जिसे वह बाद में अर्जित करे, कुछ शर्तें लगाते हुए उसके उन्मोचन का आदेश मंजूर कर सकेगा।

इस तरह प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 41 उस प्रक्रिया और शर्तों का उल्लेख करती है जिन पर कि उन्मोचन का आदेश दिया जा सकता है। यह धारा न्यायालय को विवेकीय शक्ति प्रदान करती है फिर भी न्यायालय को इस विवेकीय शक्ति का प्रयोग न्यायिक ढंग से एवं मान सिद्धान्तों के आधार पर करना चाहिए। इस धारा के

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए य आवश्यक है कि स्वयं ऋणी ही अपने उन्मोचन के लिये निर्दिष्ट समय के अन्दर प्रार्थना पत्र दें।

**से मामले जिनमें न्यायालय को पूर्ण उन्मोचन अस्वीकार करना चाहिए** (Cases in which Court must refuse an absolute discharge) इस सम्बन्ध में प्रान्तीय दिवाला अधिनिय को धारा 42 में निम्नलिखित प्रावधान किए गये हैं

(1) निम्नलिखित बातों में से किसी एक के सिद्ध हो जाने पर न्यायालय धारा अन्तर्गत पूर्ण उन्मोचन के आदेश देने से मना करेगी

(क) कि दिवालिये की आस्तियाँ उसके असुरक्षित दायित्वों की धनराशि पर रुपये के आठ आने मूल्य के बराबर नहीं हैं, जब तक कि वह न्यायालय को यह सन्तु नहीं कर देता है कि यह तथ्य, कि उसकी आस्तियाँ उसके असुरक्षित दायित की रकम पर आठ आने प्रति रुपये के बराबर मूल्य की नहीं हैं, ऐसी परि स्थितियों से उत्पन्न हुआ है जिनके लिये उसे उचित रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

(ख) कि दिवालिये ने ऐसी लेखा बहियों को रखने में कार्य लोप किया है जैसी उस द्वारा किए गये व्यापार में सामान्य एवं उचित होती है तथा जोकि उसको शोध अक्षमता के तत्काल पूर्व के तीन वर्षों के अन्दर के व्यापारिक संव्यवहारों त आर्थिक स्थिति को पर्याप्त रूप से प्रकट करती हो। (ग) कि स्वयं को दिवालिया जानने के पश्चात् दिवालिये ने व्यापार करना जा रखा है।

(घ) कि दिवालिये ने इस अधिनियम के अन्तर्गत सिद्ध करने योग्य कोई ऋण, उ लेते समय बिना इस बात का विचार किए हुए कि उसके पास उसे अदा कर की कोई युक्तियुक्त या सम्भाव्य आशा का आधार है, लिया है।

(ङ) कि दिवालिया अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आस्तियों की किसी हा के लिये या आस्तियों की किसी कमी के लिए हिसाब देने में असफल रहा है।

(च) कि दिवालिये ने तेज और जटिल सट्टेबाजी करने या जीवन में अनुनि आवारगी करके या जुआ खेलकर या अपने व्यापार के कारोबार में जान-बूझक लापरवाही करके अपनी शोधन क्षमता में योगदान किया है या उसे आमनि किया है।

(छ) कि दिवालिया ने याचिका को प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्ववर्ती तीन माह अन्दर जब वह अपने ऋणों को, जैसे ही वे देय होते हैं, चुकाने में असमर्थ अपने ऋणदाताओं में से किसी को अनुचित प्राथमिकता दी है।

(ज) कि दिवालिया किसी पूर्व अवसर पर एक दिवालिया निर्णीत किया जा तुका या अपने ऋणदाताओं के साथ समझौता या संव्यवस्था कर चुका है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(झ) कि दिवालिया ने अपनी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को छिपा दिया था दिया है या वह किसी अन्य कपट या न्यास के कपटपूर्ण उल्लंघन का रहा है।

(2) इस धारा के प्रयोजन हेतु आदाता की रिपोर्ट साक्ष्य समझी जायेगी तथा न्यायालय उसमें अन्तर्विष्ट किसी कथन की सत्यता के विषय में उपधारणा कर सकती है।

(3) दिवालिये के उन्मोचन को निलम्बित करने और उस पर शर्तें आबद्ध करने की शक्ति प्रयोग साथ-साथ किया जा सकता है।

**न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्मोचन के लिए प्रार्थना पत्र न देने का प्रभाव** (Effect of failure to apply for discharge within the time fixed by the Court) — प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 43 (1) के अनुसार, यदि ऋणी न्यायालय द्वारा उल्लिखित अवधि के अन्दर उन्मोचन के आदेश के लिये प्रार्थना पत्र नहीं देता है, तो न्यायालय न्यायनिर्णयन के आदेश को अभिशून्य या ऐसा अन्य आदेश कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे और यदि इस प्रकार न्यायनिर्णयन का आदेश अभिशून्य कर दिया जाता है तो धारा 37 के उपबन्ध प्रयुक्त होंगे।

धारा 43 (2) यह उपबन्धित करती है कि जहाँ इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऋणी को अभिरक्षा से मुक्त कर दिया गया है और उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन का आदेश अभिशून्य कर दिया जाता है, तो न्यायालय यदि वह उचित समझता है, ऋणी को उसकी पूर्ववर्ती अभिरक्षा के पुनः सुपुर्द कर सकता है तथा कारावास का भारसाधक अधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा ऋणी सुपुर्द कर दिया जाता है, ऐसे ऋणी को अपनी अभिरक्षा में ऐसी पुनः सुपुर्दगी के अनुसार प्राप्त करेगा, और इस पर सभी आदेशिकायें, जो पूर्वोक्त ऐसी मुक्ति के समय पर ऐसे ऋणी के शरीर के विरुद्ध गति में थीं, अब भी गतिमय समझी जायेंगी जैसे कि न्यायनिर्णयन का कोई आदेश नहीं हुआ था । )

**उन्मोचन के आदेश का प्रभाव** (Effect of order of discharge) — प्रान्तीय दिवाला को धारा 44 उन्मोचन के प्रभाव का वर्णन करती है। धारा 44 के अनुसार

(1) उन्मोचन का आदेश दिवालिये को निम्नलिखित ऋणों से मुक्त नहीं करेगा

(i) सरकार को देय किसी ऋण से;

(ii) किसी ऐसे ऋण या दायित्व से, जिनके सम्बन्ध में उसने किसी ऐसे कपट के द्वारा जिसका कि वह पक्षकार रहा हो, निवृत्ति अभिप्राप्त कर ली है;

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(iii) किसी ऐसे ऋण या दायित्व से जिसे उसने ऐसे कपट या कपटपूर्ण न्यास भंग के माध्यम से जिसका कि वह पक्षकार रहा हो, उपार्जित किया हो; (iv) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 488 के अधीन भरण-पोषण के लिये किए गये आदेश के अधीन किसी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा अन्यथा उपबन्धित के अतिरिक्त उन्मोचन का आदेश इस अधिनियम के अधीन सिद्ध किये जाने योग्य सभी ऋणों से दिवालिये को मुक्त करेगा।

(3) उन्मोचन का आदेश किसी व्यक्ति को जो याचिका के प्रस्तुत करने की तारीख पर, दिवालिये के साथ सह-भागीदार या सह-न्यासधारी था या संयुक्त रूप से बाध्य था या जिसने उसके साथ कोई संयुक्त संविदा की थी या किसी व्यक्ति को जो उसके लिए प्रतिभू था, मुक्त नहीं करेगा।

PGS NATIONAL COLLGE OF LAW